[2022] 2 एस.सी.आर. 102

वहीद-उर-रहमान पारा

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

(आपराधिक अपील संख्या 237/2022)

25 फरवरी, 2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 173(6), 207 और 161 - गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - धारा 44 - क्या कुछ गवाहों को सी.आर.पी.सी की धारा 173(6) के तहत शक्तियों के प्रयोग में यू.ए.पी.ए की धारा 44 के साथ परीक्षण न्यायालय द्वारा संरक्षित गवाह घोषित किए जाने के मामले में, क्या बचाव पक्ष इन संरक्षित गवाहों के संपादित बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए सी.आर.पी.सी की धारा 207 और धारा 161 के तहत उपाय का सहारा ले सकता है - परीक्षण न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष एक निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने के लिए अभियुक्त को संरक्षित गवाहों के बयानों की प्रतियां प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध था - अपील में, उच्च न्यायालय ने माना कि संरक्षित गवाहों की याचिका को अनुमति देने और उनकी गवाही को एक सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देने के बाद, संपादित बयानों की प्रतियों की अनुमति देना अपने स्वयं के आदेशों पर फिर से विचार करने और समीक्षा करने के बराबर होगा, जो यू.ए.पी.ए की धारा 44 और एन.आई.ए अधिनियम की धारा 17 के साथ सी.आर.पी.सी की धारा 173 (6) की व्याख्या सी.आर.पी.सी की धारा 207 की तुलना में अलग कानूनी निहितार्थों के साथ एक अलग स्तर पर है- परिणामस्वरूप, सी.आर.पी.सी की धारा 207 के तहत संपादित बयानों की अनुमति देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं है- ट्रायल कोर्ट का आदेश अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए निष्पक्ष और उचित है, जबकि गवाहों की रक्षा करता है और सी.आर.पी.सी की धारा 207 के तहत गवाही के संपादित हिस्से के खुलासे के साथ बचाव पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित नहीं करता है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. सी.आर.पी.सी के सेक्शन 173(6) के प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के सेक्शन 44 और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के सेक्शन 17 के साथ पढ़ने पर, सी.आर.पी.सी के सेक्शन 207 की तुलना में अलग लेवल पर हैं और उनके लीगल मतलब भी अलग हैं। पहला ऑर्डर शुरुआत में ही पास कर दिया गया था। आरोपी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यू.ए.पी.ए के

सेक्शन 44, एन.आई.ए एक्ट के सेक्शन 17 और सेक्शन 173(6) का मकसद गवाहों को सुरक्षित रखना है। ये कानूनी गवाह सुरक्षा की तरह हैं। अगर कोर्ट को यकीन हो जाए कि गवाह का पता और नाम बताने से परिवार और गवाह को खतरा हो सकता है, तो ऐसा आदेश पास किया जा सकता है। ये स्पेशल कानूनों के तहत अपराधों के लिए बनाए गए स्पेशल प्रोविज़न के संदर्भ में भी हैं। [पैरा 24][112-डी-ई]

2. **अपील करने वाले/आरोपी के लिए सी.आर.पी.सी के सेक्शन 207 के तहत एडिटेड बयान मांगने का मौका तब आया जब ट्रायल शुरू होने वाला था और अपील करने वाले का मानना था कि सही बचाव के लिए एडिटेड हिस्से को छोड़कर पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि उन गवाहों की गवाही का इस्तेमाल उनकी पहचान या उनके रहने की जगह बताए बिना किया जा सके। यह रिव्यू की पावर का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग प्रोविज़न के तहत कार्रवाई के दो अलग-अलग स्टेज पर पावर का इस्तेमाल है। [पैरा 25][112-एफ-एच]**

3. **ट्रायल कोर्ट का पास किया गया ऑर्डर बहुत सावधानी से लिखा गया है। आदेश में न सिर्फ़ गवाहों के पते और डिटेल्स को हटाने की इजाज़त दी गई है, जिससे उनकी पहचान पता चल सकती है, बल्कि यह भी कहा गया है कि बयान में दूसरे ज़रूरी पैरा भी, जिनसे उनका काम और पहचान पता चलती है, उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए, इस बारे में प्रॉसिक्यूशन की तरफ़ से शायद ही कोई शिकायत हो सकती थी। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर प्रॉसिक्यूशन और बचाव पक्ष दोनों के लिए सही और तर्कसंगत है, साथ ही गवाहों की सुरक्षा भी करता है और सी.आर.पी.सी की धारा 207 के तहत गवाही के हटाए गए हिस्से को बताने से बचाव पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित नहीं करता है। [पैरा 27][113-सी-एफ]**

मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य (जीएनसीटीडी) **(2012) 2 एससीसी 584**: **[2012] 1 एससीआर 64**; सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) **(2010) 6 एससीसी 1: [2010] 4 एससीआर 103**; जाहिद शेख बनाम गुजरात राज्य **(2011) 7 एससीसी 762: [2011] 10 एससीआर 1**; डी. सुबैर टी.पी. और अन्य बनाम भारत संघ **(2021) 1 केएलटी (एसएन 17)** और अतुल शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य **(2019) 17 एससीसी 299** - को संदर्भित किया गया।

केस लॉ संदर्भ

[2012] 1 एस.सी.आर 64	**संदर्भित**	**पैरा 18**
[2010] 4 एस.सी.आर 103	**संदर्भित**	**पैरा 18**
[2011] 10 एस.सी.आर 1	**संदर्भित**	**पैरा 18**
(2019) 17 एस.सी.आर 299	**संदर्भित**	**पैरा 23**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 237/2022

दिनांक 11.10.2021 आपराधिक अपील संख्या 16/2021 में उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता शादान फरासत, शरीक जे. रेयाज, शौर्य दासगुप्ता।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता सुश्री तरुणा अर्धेंदुमौली प्रसाद, पार्थ अवस्थी ।

कोर्ट का फैसला सुनाया गया

संजय किशन कौल, जे.

1. वर्तमान अपील में विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (6) के तहत शक्तियों के प्रयोग में कुछ गवाहों को संरक्षित गवाह घोषित किए जाने के मामले में (जिसे आगे 'सी.आर.पी.सी' कहा जाएगा), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 44 (जिसे आगे 'यू.ए.पी.ए' कहा जाएगा) के साथ परीक्षण न्यायालय द्वारा, क्या बचाव पक्ष इन संरक्षित गवाहों के संपादित बयानों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 और धारा 161 के तहत उपाय का सहारा ले सकता है।

बैक्ग्राउण्ड

2. एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ.आई.आर'), एफ.आई.आर संख्या 5/2020, 11.01.2020 को यू.ए.पी.ए की धाराओं 18, 19, 20, 38 और 39 के साथ आर्म्स एक्ट, 1959 की धाराओं 7/25 (इसके बाद 'आर्म्स एक्ट' के रूप में संदर्भित) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराओं 3/4 (इसके बाद 'ई.एस एक्ट' के रूप में संदर्भित) के तहत सैयद नवीद मुश्ताक और अन्य के खिलाफ थाना काजीगुंड में पंजीकृत की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संक्षेप में 'एन.आई.ए') ने एन.आई.ए अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 6(4) के तहत इस एफ.आई.आर की जांच शुरू की और एफ.आई.आर को 17.01.2020 को आरसी/01/2020/एनआईए/जेएमयू के रूप में फिर से पंजीकृत किया

गया। अपीलकर्ता को उक्त प्राथमिकी में 25.11.2020 को गिरफ्तार किया गया था और एन.आई.ए ने प्राथमिकी में दूसरा पूरक आरोप पत्र 22.03.2021 को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू (विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए अधिनियम) की अदालत के समक्ष दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता को उक्त पूरक आरोप पत्र में आरोपी नंबर 11 के रूप में रखा गया।

3. 22.12.2020 को, रेस्पोंडेंट ने यू.ए.पी.ए के सेक्शन 13, 17, 18, 38, 39, 40 के साथ इंडियन पीनल कोड, 1860 (जिसे आगे 'आई.पी.सी' कहा जाएगा) के सेक्शन 120-B, 121, 121-A और 124-A के तहत थाना - सी.आई.के, श्रीनगर में अपील करने वाले का नाम लिए बिना एफ.आई.आर संख्या 31/2020 फाइल की। एन.आई.ए चार्जशीट जैसे ही आरोपों और सबूतों के आधार पर, उत्तरदाता ने एफ.आई.आर संख्या 31/2020 से जुड़े मामले में स्पेशल जज (एन.आई.ए एक्ट), श्रीनगर के सामने एक और फाइनल रिपोर्ट/चार्जशीट फाइल की, जहाँ अपील करने वाले को अकेला आरोपी बनाया गया। अपील करने वाले के खिलाफ 20.7.2021 को आरोप तय किए गए।

4. रेस्पोंडेंट ने ट्रायल कोर्ट में यू.ए.पी.ए के सेक्शन 44 और सी.आर.पी.सी. के सेक्शन 173(6) के तहत एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें पांच गवाहों को प्रोटेक्टेड गवाह घोषित करने और डी-1 मार्क किए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स को आरोपी को दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स से हटाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 01.06.2021 के ऑर्डर के ज़रिए उत्तरदाता की आवेदन को यह कहते हुए मंज़ूरी दे दी कि मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, ऐसा लगता है कि गवाहों और उनके परिवारों की जान और प्रॉपर्टी को खतरा है। इसलिए, यू.ए.पी.ए के सेक्शन 44 के दायरे और मकसद को ध्यान में रखते हुए, ए-1 से ए-5 मार्क किए गए प्रॉसिक्यूशन के गवाहों के बयानों को प्रोटेक्टेड गवाह घोषित करने के मद्देनजर एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। इसके अलावा, डी-1 मार्क किए गए डॉक्यूमेंट्स (जो एक अलग सीलबंद लिफाफे में भी थे) को दूसरे डॉक्यूमेंट्स से हटा दिया गया था और उन्हें प्रोटेक्टेड गवाहों के बयानों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

<u>ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही:</u>

5. अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 207 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें संरक्षित गवाह ए-1 से ए-5 के बयानों की संपादित प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इसका प्रतिवादियों ने इस आधार पर विरोध किया कि उक्त आवेदन इस कारण से स्वीकार्य नहीं था कि ऐसे बयानों की प्रतियां अभियुक्तों को प्रदान की जानी चाहिए या नहीं, यह पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.06.2021 के अनुसार तय किया जा चुका था। यह तर्क दिया गया था कि धारा

207 सी.आर.पी.सी. धारा 173 सी.आर.पी.सी पर सशर्त थी और इसका स्थान नहीं ले सकती थी। इस प्रकार धारा 207 सी.आर.पी.सी. के तहत परिकल्पित सभी सामग्री प्रदान करने के अभियुक्त के अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता था, जो धारा 207 सी.आर.पी.सी. के खंड (iii) को पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट था। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के तहत समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी और अपीलकर्ता की प्रार्थना 01.06.2021 के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग करने के समान होगी।

6. ट्रायल कोर्ट ने 11.09.2021 के ऑर्डर के ज़रिए अपील करने वाले की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली, और कहा कि यू.ए.पी.ए की धारा 44 और सी.आर.पी.सी की धारा 207 और 173(6) के हिसाब से, यह पूरी तरह साफ़ था कि प्रॉसिक्यूशन की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह आरोपी को फेयर ट्रायल देने के लिए प्रोटेक्टेड गवाहों ए-1 से ए-5 के बयानों की कॉपी दे। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट के 01.06.2021 के ऑर्डर ने ऊपर बताई गई धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट की शक्तियों पर कोई रोक या रुकावट नहीं डाली। यह राय दी गई कि प्रॉसिक्यूशन की अर्ज़ी का मकसद सिर्फ़ गवाहों ए-1 से ए-5 को प्रोटेक्टेड गवाह घोषित करना था और ऑर्डर में कहीं भी यह राय नहीं दी गई कि आरोपी को उन प्रोटेक्टेड गवाहों के बयानों की कॉपी लेने से रोका गया था।

<u>हाई कोर्ट की कार्यवाही:</u>

7. उत्तरदाताओं ने इस आधार पर हाई कोर्ट में अपील की कि 11.09.2021 का ऑर्डर, 01.06.2021 के पहले के ऑर्डर से अलग होगा और उस मकसद को ही खत्म कर देगा जिसे पहले के ऑर्डर के हिसाब से पूरा करने की कोशिश की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि यह असल में एक रिव्यू पावर थी जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, और यह प्रोसेस और अधिकार क्षेत्र के हिसाब से ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। दूसरी ओर, अपील करने वाले ने दलील दी कि अंतरिम ऑर्डर से कोई अपील अनुरक्षणीय नहीं थी।

8. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 11.10.2021 के विवादित ऑर्डर के ज़रिए अपील मंज़ूर कर ली, और कहा कि यू.ए.पी.ए के सेक्शन 17 और 44 को देखते हुए यह साफ़ था कि लेजिस्लेचर को सी.आर.पी.सी के सेक्शन 173(6) के तहत दिए गए आम सुरक्षा उपायों के होने के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने इन नियमों में बताए गए और सुरक्षा उपाय देना सही समझा। हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट्स के पक्ष में राय दी, और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रोटेक्टेड गवाहों की अर्ज़ी मान ली है और उनकी गवाही को सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखने का निर्देश दिया है, ऐसे में एडिट किए गए बयानों की कॉपी की इजाज़त देना अपने ही ऑर्डर पर दोबारा विचार करने और उनका रिव्यू करने जैसा होगा, जिसकी इजाज़त नहीं थी। इससे प्रोटेक्टेड गवाह भी खतरे में पड़ जाएंगे।

<u>कानूनी स्थिति:</u>

9. विवाद को समझने के लिए हम सबसे पहले कानूनी स्थिति बताएंगे।

10. ट्रायल कोर्ट ने शुरू में सी.आर.पी.सी के सेक्शन 173(6) के तहत इस पावर का इस्तेमाल किया था। सी.आर.पी.सी का चैप्टर XII "पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी पावर" से जुड़ा है। सेक्शन 173 का मतलब है "जांच पूरी होने पर पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट"। सी.आर.पी.सी के सेक्शन 173 के ज़रूरी प्रोविज़न इस तरह हैं:

> **173. जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।** (1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जांच बिना अनावश्यक विलंब के पूरी की जाएगी।
>
> (6) यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय-वस्तु से सुसंगत नहीं है या अभियुक्त के सामने उसका खुलासा न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और जनहित में अनुचित है, तो वह कथन के उस भाग को इंगित करेगा और एक टिप्पणी संलग्न करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाएगा कि वह उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से हटा दे और ऐसा अनुरोध करने के अपने कारण बताएगा।

11. ट्रायल के नॉर्मल प्रोसेस में, प्रॉसिक्यूशन के गवाहों के सभी बयान आरोपी को बताने होंगे। सेक्शन 173(6) इस प्रोविज़न का एक एक्सेप्शन है। यह दो सिचुएशन में लागू होता है, यानी,

I. बयान कार्यवाही के विषय से संबंधित नहीं है।

II. न्याय के हित में या जनता के हित में आरोपी को इसका खुलासा करना ज़रूरी नहीं है।

इसमें आगे कहा गया है कि बयान के ऐसे हिस्से को एक नोट में जोड़ा जाए जिसमें मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की जाए कि आरोपी को दी जाने वाली "कॉपियों से उस हिस्से को हटा दिया जाए" और ऐसी रिक्वेस्ट करने के कारण बताए जाएं।

12. फाइल की गई आवेदन को देखने से पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (शॉर्ट में 'आई.ओ') ने जो वजह बताई थी, वह यह थी कि यह एक हाई प्रोफाइल केस था और इस पर पब्लिक और मीडिया का बहुत ध्यान जाएगा, इसके अलावा कुछ खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन भी साज़िश का हिस्सा थे और उनके खिलाफ जांच भी होनी थी। ऐसे गवाहों की जान और प्रॉपर्टी को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए, इंसाफ और

इन गवाहों के हित में उन्हें प्रोटेक्टेड गवाह घोषित किया जाना ज़रूरी था। यू.ए.पी.ए के सेक्शन 44 के मुताबिक, उनके बयानों की कॉपी आरोपियों को दी जाने वाली कॉपी से हटा दी जानी चाहिए और उन्हें एक सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए।

13. अब हम दूसरे प्रावधान पर आते हैं, जो यू.ए.पी.ए की धारा 44 है, जो "गवाहों की सुरक्षा" से संबंधित है और इस प्रकार है:

> **"44. साक्षियों का संरक्षण** -- (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, यदि न्यायालय चाहे तो बंद कमरे में आयोजित की जा सकेगी।
>
> (2) यदि न्यायालय को अपने समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह विश्वास हो जाता है कि ऐसे गवाह का जीवन खतरे में है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करके ऐसे गवाह की पहचान और पता गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे।
>
> (3) विशिष्टतया, तथा उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय उस उपधारा के अधीन जो उपाय कर सकता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे-
>
> (ए) न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर कार्यवाही का आयोजन;
>
> (बी) अपने आदेशों या निर्णयों में या मामले के किसी अभिलेख में जो जनता के लिए सुलभ हो, गवाह के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना;
>
> (सी) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी करना कि गवाह की पहचान और पता प्रकट नहीं किया जाए;
>
> (डी) यह फैसला कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ऐसे कोर्ट के सामने पेंडिंग सभी या कोई भी प्रोसिडिंग्स किसी भी तरह से पब्लिश नहीं की जाएंगी।
>
> (4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (3) के अधीन जारी किसी निर्णय या निर्देश का उल्लंघन करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकेगा।

14. यू.ए.पी.ए के सेक्शन 44 के सब-सेक्शन (2) के मुताबिक, अगर ऐसे गवाह के बारे में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऊपर बताई गई बात कहता है, तो कोर्ट अगर किसी आवेदन पर यह मानता है कि ऐसे गवाह की जान को खतरा है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे "गवाह की पहचान और पता" सीक्रेट रखने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है जो उसे सही लगे। इस तरह, हम कह सकते हैं कि पूरा मकसद यह है कि अगर गवाह की गवाही से उनकी लोकेशन और पहचान का पता चल सकता है, तो गवाही का वह हिस्सा नहीं सौंपा जाना चाहिए। हम यह बात ट्रायल कोर्ट के सामने आरोपी की उस अर्जी के संदर्भ में देख रहे हैं, जिसमें उसने सिर्फ़ सुरक्षित गवाहों के संशोधित किए गए बयान मांगे थे। हम यह भी ध्यान दें कि ट्रायल कोर्ट के 11.09.2021 के आदेश में इसकी इजाज़त दी गई थी, जिसमें यह साफ़ निर्देश दिया गया था कि डॉक्यूमेंट्स उनकी पहचान (सुरक्षित गवाहों का नाम और पता) और उनके बयानों से जुड़े पैरा हटाने के बाद दिए जाएं, जिनसे उनके काम और पहचान का पता चलता है। इसलिए, कोर्ट ने यह फैसला स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पर छोड़ दिया कि उनके बयान में कौन से पैराग्राफ ज़रूरी माने जाएंगे, जिससे उनके काम और पहचान का पता चलेगा, साथ ही उनके नाम और पते भी काट दिए जाएंगे।

15. हम यह भी ध्यान दें कि एन.आई.ए अधिनियम का सेक्शन 17 उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप है।

16. सी.आर.पी.सी का सेक्शन 161 “पुलिस द्वारा गवाहों की जांच” से जुड़ा है, जबकि सी.आर.पी.सी का सेक्शन 207 “आरोपी को पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने” से जुड़ा है। यह सेक्शन चैप्टर XVI में आता है जो “मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई शुरू करने” से जुड़ा है और इस तरह है:

> **“207.** आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देना। - ऐसे किसी भी मामले में जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना देर किए आरोपी को नीचे दी गई चीज़ों में से हर एक की एक कॉपी मुफ़्त में देगा:-
>
> (i) पुलिस रिपोर्ट;
>
> (ii) धारा 154 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट;
>
> (iii) धारा 161 की उपधारा (3) के अंतर्गत अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के कथन जिनकी अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करता है, उसमें से ऐसे किसी भाग को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (6) के अंतर्गत ऐसे अपवर्जन का अनुरोध किया गया हो;

(iv) धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित स्वीकारोक्ति तथा कथन, यदि कोई हों;
(v) धारा 173 की उपधारा (5) के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक अंश:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, क्लॉज़ (iii) में बताए गए बयान के किसी हिस्से को पढ़ने के बाद और पुलिस अधिकारी के अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से की या उसके ऐसे हिस्से की एक कॉपी, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, आरोपी को दी जाएगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट को विश्वास हो कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति देने के बजाय निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।"

17. ऊपर दिए गए प्रोविज़न को पढ़ने से पता चलता है कि यह मजिस्ट्रेट को, "करेगा" शब्द का इस्तेमाल करके, बिना देर किए उसमें बताई गई चीज़ों की कॉपी देने का आदेश देता है, जिसमें सेक्शन 161 के सब-सेक्शन (3) के तहत सभी लोगों के रिकॉर्ड किए गए बयान शामिल होंगे। हालांकि, पहला प्रोविज़ो एक छूट देता है कि मजिस्ट्रेट, क्लॉज़ (iii) के संबंध में, पुलिस अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से की या उसके ऐसे हिस्से की एक कॉपी, जिसे मजिस्ट्रेट सही समझे, आरोपी को दी जाएगी।

<u>प्रतिद्वंद्वी विवाद:</u>

18. अपील करने वाले के वकील ने कहा कि आरोपी को सी.आर.पी.सी के सेक्शन 161 और 207 के मुताबिक, ट्रायल के दौरान गवाह से आमना-सामना कराने के लिए गवाहों के बयानों की कॉपी पाने का कानूनी अधिकार है। उन्होंने **मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य (जी.एन.सी.टी.डी)**[1] में इस कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि आरोपी को इन नियमों के तहत अपना असरदार बचाव करने के लिए गवाहों के बयानों की कॉपी पाने का अधिकार है। इसके अलावा, **सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (एन.सी.टी, दिल्ली)**[2] में, यह राय दी गई थी कि कोर्ट के सामने जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और बयान पाने का आरोपी का अधिकार पूरी तरह से है और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसे एक फेयर ट्रायल में फेयर डिस्क्लोजर की ज़रूरत का हिस्सा माना गया।

[1](2012) 2 एस.सी.सी 584
[2](2010) 6 एस.सी.सी 1

जाहिद शेख बनाम गुजरात राज्य[3] मामले में, इस कोर्ट ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि सेशंस कोर्ट का यह कर्तव्य था कि वह चार्जशीट और सभी संबंधित दस्तावेजों की कॉपी दे, जिन पर प्रॉसिक्यूशन ने सी.आर.पी.सी की धारा 207 और 208 के तहत भरोसा किया था, और इसे खाली फॉर्मैलिटी नहीं माना जा सकता।

19. अपील करने वाले के अधिवक्ता ने इस कोर्ट से बैलेंस बनाने की रिक्वेस्ट की, ताकि उन मामलों में फेयर ट्रायल से कोई छेड़छाड़ न हो, जहाँ स्पेशल कानूनों के तहत गवाहों की पहचान छिपाना ज़रूरी है। अपील करने वाले के अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट के निर्देश को बहुत सही बताते हुए सही ठहराया, और गवाहों और उनकी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी जानकारी को हटाने का काम खुद एस.पी.पी पर छोड़ दिया।

20. ट्रायल कोर्ट द्वारा रिव्यू पावर का इस्तेमाल करने के पहलू पर, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, यह आग्रह किया गया कि कुछ गवाहों को प्रोटेक्टेड गवाह के तौर पर नामित करने का पहला निर्देश आरोपी की गैर-मौजूदगी में दिया गया था। यह कार्यवाही का एक अलग तरह का तरीका था। वे कार्यवाही किसी आरोपी से गवाह के बयान पाने का अधिकार नहीं छीन सकती थीं क्योंकि इसका मकसद सिर्फ गवाहों को बचाना था, न कि पूरे बयान को सी.आर.पी.सी की धारा 207 के दायरे से बाहर करना। 11.9.2021 का दूसरा आदेश सी.आर.पी.सी की धारा 207 के आदेश को पूरा करने के लिए था, बशर्ते कि इस संबंध में सावधानियां बरती जाएं।

21. आखिर में यह कहा गया कि हाई कोर्ट में कोई अपील मेंटेनेबल नहीं है। अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील NIA एक्ट के सेक्शन 21 के तहत बैन हैं, जो प्रॉसिक्यूशन और डिफेंस दोनों पर बराबर लागू होगा। इन बातों को समझने के लिए, हम एन.आई.ए एक्ट का सेक्शन 21(1) दोबारा पेश कर रहे हैं, जो अंतरिम ऑर्डर के लिए एक एक्सेप्शन देता है और इस तरह है:

> I. **"21 अपील**.- (1) संहिता में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश के खिलाफ, जो कि अंतरिम आदेश नहीं है, तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।"

22. दिलचस्प बात यह है कि केरल हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने **डी. सुबैर टी.पी. और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**[4] मामले में इसी तरह के मुद्दे पर अपनी राय दी है और आरोपी को वैसी ही शर्तें दी हैं जैसी ट्रायल कोर्ट ने अपने 11.09.2021 के आदेश

[3](2011) 7 एस.सी.सी 762

[4](2021) 1 के.एल.टी (एस.एन 17)

में दी थीं। हालांकि, बयान के कुछ हिस्सों को हटाने का अधिकार स्पेशल प्रॉसिक्यूटर के बजाय ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। इन नियमों के तहत इस कोर्ट का कोई फैसला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।

23. दूसरी तरफ, उत्तरदाता के अधिवक्ता ने अपील का विरोध इस आधार पर किया कि ट्रायल कोर्ट के पास रिव्यू का अधिकार नहीं है **(अतुल शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश एवं अन्य[5])**। यह कहा गया कि अपील करने वाले पर लगे आरोपों को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट में यह ज़रूरी है कि कुछ बातों को डिस्क्लोज़र से बाहर रखा जाए क्योंकि गवाहों और उनके परिवारों की जान और सुरक्षा को खतरा था।

<u>निष्कर्ष:</u>

24. उपरोक्त कानूनी स्थिति और मुद्दे के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्यों के सीमित रूपरेखा के आधार पर, हमारा मानना है कि सी.आर.पी.सी की धारा 173(6) के प्रावधान यू.ए.पी.ए की धारा 44 और एन.आई.ए अधिनियम की धारा 17 के साथ पढ़ने पर सीआरपीसी की धारा 207 की तुलना में विभिन्न कानूनी निहितार्थों के साथ एक अलग स्तर पर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला आदेश दहलीज पर पारित किया गया था। आरोपी को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। धारा 44, यू.ए.पी.ए, धारा 17, एन.आई.ए अधिनियम और धारा 173(6) का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा करना है। वे एक वैधानिक गवाह सुरक्षा की प्रकृति के हैं। अदालत द्वारा संतुष्ट होने पर कि गवाह के पते और नाम का खुलासा परिवार और गवाह को खतरे में डाल सकता है, ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 01.06.2021 का आदेश पास करते समय इन बातों पर ध्यान दिया था, और अपील करने वाले को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है।

25. अपीलकर्ता/आरोपी के लिए सी.आर.पी.सी के सेक्शन 207 के तहत संशोधित बयान मांगने का मौका तब आया जब ट्रायल शुरू होने वाला था और अपील करने वाले का मानना था कि सही बचाव के लिए संशोधित हिस्से को छोड़कर पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि उन गवाहों की गवाही का इस्तेमाल उनकी पहचान या उनके रहने की जगह बताए बिना किया जा सके। हमारे हिसाब से, यह रिव्यू की पावर का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग प्रोविज़न के तहत कार्रवाई के दो अलग-अलग स्टेज पर पावर का इस्तेमाल है। इसलिए, प्रॉसिक्यूशन का यह कहना कि यह रिव्यू पावर है, गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के पास रिव्यू की पावर नहीं है और सवाल

[5](2019) 17 एस.सी.सी 299

यह था कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा 01.06.2021 और 11.09.2021 के आदेश के ज़रिए दो अलग-अलग प्रोविज़न के तहत पावर का इस्तेमाल बाद वाले आदेश में रिव्यू की पावर कहा जा सकता है। इसका जवाब साफ तौर पर 'नहीं' में है।

26. हम एक और पहलू पर भी ध्यान दे सकते हैं जो अंतरिम आदेश के खिलाफ कोई अपील न होने से पैदा होता है। इस पहलू पर हाई कोर्ट ने शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था कि बाद वाला आदेश पहले वाले आदेश का रिव्यू था। अपीलकर्ता ने 01.06.2021 के पहले वाले आदेश को चैलेंज नहीं किया था और न ही कर सकता था। इसी तरह, एन.आई.ए एक्ट के सेक्शन 21(1) के प्रोविज़न के हिसाब से, बाद वाले आदेश को उत्तरदाता अपील में चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अंतरिम आदेश जैसा था।

27. इतना कहने के बाद, हम 11.09.2021 को ट्रायल कोर्ट के पास किए गए आदेश पर भी आते हैं, जिसे बहुत सावधानी से लिखा गया है। आदेश में न सिर्फ़ गवाहों के पते और डिटेल्स को हटाने की इजाज़त दी गई है, जिससे उनकी पहचान पता चल सकती है, बल्कि जैसा कि पहले बताया गया है, यह भी कहा गया है कि बयान में दूसरे ज़रूरी पैरा भी, जिनसे उनके काम और पहचान का पता चलता है, उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को फ़ैसला लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए, इस बारे में प्रॉसिक्यूशन की तरफ़ से शायद ही कोई शिकायत उठाई गई हो। जब उत्तरदाता के अधिवक्ता से पूछा गया कि यह आदेश किसी भी तरह से गवाहों या उनके परिवारों की पहचान को नुकसान पहुँचाने या उन्हें नुकसान पहुँचाने की संभावना को कैसे बढ़ा सकता है, तो असल में कोई जवाब नहीं मिला। हमारा मानना है कि दिनांक 11.09.2021 का आदेश अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के लिए निष्पक्ष और उचित है, जबकि गवाहों की रक्षा की गई है और सी.आर.पी.सी की धारा 207 के तहत गवाही के संपादित हिस्से के खुलासे के साथ बचाव पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित नहीं किया गया है।

28. इसका नतीजा यह है कि हाई कोर्ट का 11.10.2021 का विवादित फैसला रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट का 11.09.2021 का विवादित आदेश बहाल किया जाता है।

29. अपील को मंज़ूरी दी जाती है और पक्षों को अपना खर्च खुद उठाने को कहा जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।